

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2876] No. 2876] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3291(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 103 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारिणी में, क्रम सं. 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)
"52	एम और एन प्रवर्ग के यानों के लिए	समय समय पर यथा संशोधित – ए	12 अक्तूबर, 2017 ⊧"
	यान एसी में सिस्टम और	आई एस-076/2007	
	इमोबाईलाईजर्स, यदि फिट किया		
	गया है।		

[फा. सं. आर टी-11028/03/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधि. सं. का.आ. 411(अ) तारीख 9 फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

6154 GI/2017 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2017.

S.O. 3291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of Section 109 and clause (k) of sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii), namely:—

- (2) In the said notification, in the Table,—
 - (i) for serial number 52and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"52	Vehicle Alarm Systems and Immobilizers for M and N category vehicles, if fitted.		12 th October, 2017.".

[No. RT-11028/03/2015- MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (ii) *vide* notification number S.O. 1365 (E) dated the 13th December, 2004 and last amended *vide* notification number S.O. 411(E) dated the 9th February, 2016.